SDO मा. पत्र प्र.सं. 18/2023 Online No. 2023/38
नारायण व अन्य / गोकल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म. की जा...
13/6/2023	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित, विपक्षी सं. 3 अधिवक्ता [illegible] पेश नहीं, जवाब विपक्षी उपस्थित, जवाब पेश नहीं, जवाब का अवसर चाहा, दिया जाता है। अन्य विपक्षीगण अनुपस्थित, बार-बार आवाजें लगाई गई, इनके बावजूद भी उपस्थित पेशी पर अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया, निर्णय हिंदी में। पत्रावली फैसल शुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18/2023	01.02.2023	13.06.2023

उनवान

1. नारायण पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सुखी पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. हीरा लाल पुत्र सोला शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. गोकल पुत्र काना बैरवा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मदनलाल पुत्र नगजी राम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मांगीलाल पुत्र त्रिलोक शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. घीसी पुत्र भारमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र लादु शर्मा जाति ब्राहम्णनिवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. मदन पुत्र भारमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. शंकरलाल पुत्र लादु शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. सांवरमल पुत्र लादु शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मेघरास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. गिरीराज सिंह पुत्र स्व. शिवराज सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा।
10. रूपेन्द्र कंवर पत्नि स्व. शिवराज सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा।
11. शिवदान सिंह पुत्र करण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा।
12. मंजूदेवी पत्नि पप्पू शर्मा निवासी माकडिया तहसील व जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण महावीर जांगिड
अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 रामपाल शर्मा
अन्य तरफा विपक्षीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 1423 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 4106 रकबा 0.5033 है0 भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब पेश नही जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। आज दिनांक 13.06.2023 को अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलाां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1423 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 4106 रकबा 0.5033 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/-- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा